B.M.A College Bahori Darbhanga (L.N.M.U)

BA (Hons) Part-II पेपर-III

Dr Manoj Kumar Sah Deptt of Pol-Sc

Date 21.9.20

मुख्यमंत्री के अधिकार तथा कार्य

संविधान द्वारा मुख्यमंत्री को अनेक अधिकार तथा कार्य दिये गये हैं। प्रधानमंत्री की भाँति ही मुख्य मंत्री भी मंत्रीपरिषद् के जन्म-मरण का केन्द्र-बिन्दु है। वह मंत्रीपरिषद् का निर्माण करता है। वह राज्यपाल से स्वीकृति पाने के बाद मंत्रीपरिषद् के मंत्रियों के बीच उनके विभागों का बँटवारा करता है। इस सम्बन्ध में वह पूर्ण स्वतंत्र है तथा वह जिस व्यक्ति को चाहे विभाग दे सकता है और मंत्रीपरिषद् के प्राय: हरएक मंत्री की संख्या भी वही निश्चित करता है। वह सभी मंत्रियों के विभागों की निगरानी करता है, वह विभिन्न विभागों के मंत्रियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए बधाई देता है और उसके बुरे कार्यों के लिए उन्हें डाँट-फटकार भी कर सकता है। वह मंत्रियों के आपसी मतभेद को भी दूर करता है। उनके वाद-विवाद पर अन्तिम रूप से निर्णय भी वही देता है।

मुख्यमंत्री विधान-सभा का भी नेता होता है। विधेयक को पास कराने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। धन-राशि को मंजूर करने में वह सदस्यों पर व्यापक प्रभाव डालता है। राज्य के विधानमण्डल को विघटित करने में भी उसका हाथ रहता है क्योंकि वह राज्यपाल को ऐसा करने की राय दे सकता है। इसके अलावा वह विधानमण्डल का प्रमुख वक्ता भी होता है। विधानमण्डल की बैठकों में वह भाग लेता है विधान सभा में सरकार की प्रत्येक नीति और महत्वपूर्ण विषयों पर वही भाषण देता है। उसका यह भाषण अत्यधिक महत्व का होता है। राज्य के अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति में वह राज्यपाल के विचार पर व्यापक प्रभाव डालता है, साधारणत: यह देखा जाता है कि राज्यपाल भी नियुक्ति सम्बन्धी विषयों पर मुख्यमंत्री की राय तथा सलाह का स्वागत करते हैं।

Scanned with CamScanner